न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—44/2020/223 आर.टी.एक्ट (2020/00044)

1. नन्दकंवर पत्नी रघुवीरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम झड़वासा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. पुष्करसिंह पुत्र शोभाकंवर पुत्री मूलसिंह जाति राजपूत निवासी, भांवता तहसील व जिला अजमेर।
2. न्यालकंवर पुत्री मूलसिंह मृतक जरिए वारिसानः—
   2/1 श्रीमती दशरथकंवर पत्नी भंवरसिंह
   2/2 श्रीमती कैलाशकंवर पत्नी गोविंदसिंह
   जाति राजपूत निवासीगण मुख्य पोस्ट सावली वाया मौजमाबाद जरिए गोपालसिंह निवासी भांवता तहसील व जिला अजमेर।
   2/3 गोपालसिंह पुत्र अर्जुनसिंह
   2/4 भगवानसिंह पुत्र अर्जुनसिह
   समस्त जाति राजपूत निवासीगण भांवता तहसील व जिला अजमेर
3. श्रीमती रतनीदेवी पत्नी रामसुख, जाति गूर्जर निवासी रसूलपुरा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
4. श्रीमती लक्ष्मी पत्नी कन्हैयालाल उर्फ कानसिंह जाति गुर्जर निवासी बाघसुरी तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
5. श्रीमती अनुपमा पत्नी देवेन्द्रसिंह जाति गुर्जर निवासी बाघसुरी तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
6. श्रीमती चंता पत्नी गोपाल जाति गुर्जर निवासी भैरूखेडा (मगरी) तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
7. सत्यनारायण पुत्र सूरजकंवर पुत्री मूलसिंह निवासी दांतडा तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
8. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, नसीराबाद जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय दिनांक 01.07.2015 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद, राजस्व वाद संख्या 204/2011

उपस्थितः—

1. श्री मदनलाल गुर्जर, अजीत सिंह अभिभाषक अपीलांट
2. श्री राकेश गुप्ता, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 3, 4, 6
3. श्री डी0डी शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 5
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 08
5. रेस्पोडेंट संख्या 1 से 2/4 अनुपस्थित

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

निर्णय

दिनांकः–25.07.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 204/2011 में पारित निर्णय दिनांक 01.07.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीया–अपीलांटस ने एक राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के न्यायालय में विरूद्ध प्रतिवादी–राज्य सरकार एवं आमजन (जो कोई भी मृतक गुमानसिंह पुत्र मूलसिंह की कृषि भूमि खाता संख्या 71/765 में हित रखता है।) के विरूद्ध अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनयम 1955 के तहत प्रस्तुत किया। जिसे उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद ने वादीया–अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद को वाद पत्र संख्या 204/2011 बउनवान नंदकंवर बनाम सरकार आदि नम्बर व शीर्षक से दर्ज रजिस्टर किया। वादीया–अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद में रेस्पोडेंट संख्या 1 पुष्करसिंह द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के तहत प्रस्तुत कर कथन किया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद ने पुष्कर सिंह का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाए जाने के आदेश पारित किए। यहां यह उल्लेख करना पर्याप्त होगा कि रेस्पोडेंट संख्या 1 पुष्करसिंह पुत्र सोभागकंवर ने भी एक राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के न्यायालय में विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायकंवर, नंदकंवर, सत्यनारायण एवं राज्य सरकार, अंतर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया। रेस्पोडेंट सख्या 1 पुष्करसिंह द्वारा प्रस्तुत वाद, वाद संख्या 205/2011 बउनवान पुष्करसिंह बनाम न्याकंवर आदि नम्बर व शीर्षक से दर्ज रजिस्टर किया गया। वादीया–अपीलांट ने प्रतिवादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 पुष्करसिंह द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 205/2011 का प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत कर वाद पत्र के कथनों से इंकार किया। वादीया अपीलांट ने वाद संख्या 205/2011 के अपने प्रति वाद पत्र में आगे कथन किया कि कमलाकंवर पुत्री सोभागसिंह का वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया। इस कारण आवश्यक पक्षकार के अभाव में भी वाद चलने योग्य नहीं है। गुमानसिंह द्वारा उनकी निजि खातेदारी की भूमियां का ट्रस्टामेंट्री डिस्पोजल अपने जीवनकाल में कर दिए जाने से वाद संधारण योग्य नहीं है। वादी पुष्करसिंह के वाद संख्या 205/2011 प्रस्तुत किए जाने से पूर्व वादीया–अपीलांट ने वाद संख्या 204/2011 बउनवान नंदकंवर बनाम सरकार आदि प्रस्तुत कर रखा है ऐसी स्थिति में पश्चातवर्ती वाद संख्या 205/2011 पुष्करसिंह बनाम न्यालकंवर को धारा 10 के तहत स्थगित किया जाना न्यायोचित होगा। अंत में अपीलांट ने पुष्करसिंह द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 205/2011 को खारिज करने की प्रार्थना की। उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद ने विधि विरूद्ध आदेश पारित कर अपीलांट द्वारा प्रस्तूत पूर्ववर्ती वाद, वाद संख्या 204/2011 को पश्चातवर्ती वाद, वाद संख्या 205/2011 के साथ कन्सोलिटेड करने के आदेश दिनांक 19.12.2012 को पारित कर दिए। उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद ने वाद पत्र एवं प्रतिवाद पत्र के आधार पर बिना आदेश 20 नियम 4(2) व आदेश 20 नियम 5 सीपीसी के मैण्डैट्री प्रावधानानुसार वद पत्र एवं प्रतिवाद पत्र के आधार पर आवश्यक विवादास्पद विवाद्यक बिंदु कायम किए व बिना अपीलांटस को दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का व सुनवाई का समूचित अवसर दिए बिना दस्तावेजी साक्ष्य को प्रदर्श करवाए ही वाद पत्रावली को कैम्प कोर्ट झड़वास में नियत कर

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

CamScanner

दिया। उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद ने पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अपने निर्णय दिनांक 1.7.2015 द्वारा खाता संख्या 484/160 किता 20 रकबा 6.83 हैक्टर आराजी गुमानसिंह द्वारा नंदकंवर अपीलांट के नाम पूर्व में बख्शीश किया जाना सिद्ध मानकर उक्त बख्शीशनामा को सक्षम न्यायालय में पुष्करसिंह व अन्य द्वारा चुनौति नहीं दिए जाने से पुष्करसिंह को किसी भी प्रकार का अनुतोष का अधिकारी नहीं माना जाने का निर्णय पारित कर दिया। ग्राम झडवास की शेष विवादग्रस्त आराजीयात गुमानसिंह पुत्र मूलसिंह के नाम दर्ज होने से रेस्पोडेंट पुष्करसिंह द्वारा विवादग्रस्त आराजीयात में गुमानसिंह की बहिनों का हक व अधिकार प्राप्त करने का अनुतोष चाहा के संबंध में गुमानसिंह ने अपने जीवनकाल में सम्पूर्ण आराजीयात की अपनी भांजी अपीलांट नंदकंवर पत्नी रघुवीरसिंह के नाम जरिए वसीयत दिया जाना सिद्ध मानकर रेस्पोडेंट संख्या 1 पुष्करसिंह का उक्त आराजी गुमानसिंह की पैतृक सिद्ध करने में असफल रहने तथ्ता नंदकंवर के नाम जरिए पंजीकृत वसीयत दिए जाने से व वसीयतनामा को सक्षम न्यायालय में चुनौति नहीं देने से रेस्पोडेंट संख्या 1 पुष्करसिंह की माता, प्रतिवादी सत्यनारायण की माता व प्रतिवादी संख्यण 1 न्यालकंवर गुमानसिंह की बहिने बाबत कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जाना मानकर प्रकरण तहसीलदार, नसीराबाद को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित कर दिया कि ग्राम झड़वास के खाता संख्या 70/52 किता 24 रकबा 12.72 है0 खाता सख्या 484/160 किता 20 रकबा 6.83 है0 एवं खाता सखंय 1915/4936 रकबा 0.04 है0 पर मृतक गुमानसिंह पुत्र मूलसिंह की विरासत धारा 135(2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अनुसार नियमानुसार दर्ज की जावे एवं उक्त आराजी संबंधित मृतक गुमानसिंह द्वारा निस्पादित पंजीकृत वसीयत पत्र की जांच कर उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुए राजस्व रिकार्ड में दर्ज की कर्यवाही करने का निर्णय प्रदान कर निर्णय की प्रति वाद संख्या 204/2011 में भी शमिल करने के आदेश पारित कर दिए। अतः अपीलांट वाद संख्या 204/2011 उबनवान नंदकंवर बनाम सरकार आदि में पारित निर्णय दिनांक 1.7.2015 के विरूद्ध निम्न उज्ररात पर यह द्वितीय अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रही है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 204/2011 में पारित निर्णय दिनांक 01.07.2015 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 2/4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि प्रार्थीया ने विधिक राय के अनुसार उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 1.7.2015 वाद संख्या 205/2011 के विरूद्ध न्यायालय मे अपील प्रस्तुत कर दी थी जो अपील न्यायालय ने वाद सख्या 204/2011 के निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत नहीं किए जाने के तकनीकि कानूनी आधार पर अपने निर्णय दिनांक 20.1.2020 से दो वादों के निर्णयों के विरूद्ध एक ही अपील प्रस्तुत किए जाने के आधार पर अपील को पोषणीय नहीं मानकर खारिज कर दी। न्यायालय द्वारा तकनीकि आधार पर प्रार्थीया की अपील को खारिज किए जाने पर प्रार्थीया को अभिभाषक द्वारा दो अपील प्रस्तुत करने की विधिक राय दिए जाने पर प्रार्थीया न्यायालय द्वारा अपील संख्या 482/2015 में पारित निर्णय के विरूद्ध नजरसानी प्रस्तुत कर रही है तथा उपखण्ड अधिकारी के निर्णय एवं डिक्री वाद संख्या 204/2011 के विरूद्ध पृथक से अपील प्रस्तुत कर रही है। उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 1.7.2015 वैसे भी

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

क्षेत्राधिकार व अधिकारिता का दुरूपयोग का पारित किया गया होने से विधि विरूद्ध पारित निर्णय एवं डिक्री को चुनौति देने के लिए मियाद का तकनीकि बिंदु आडे नहीं आता। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल ने अपने कई विधिक विनिश्चयों में विधि विरूद्ध निर्णयों के विरूद्ध कभी भी अपील प्रस्तुत किए जाने पर मियाद की तकनीकि बिंदु के बजाय गुणावगुण पर निर्णिय पारित करने के लिए बल दिया गया है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिंदु पर ध्यान नहीं दिया कि वादीया–अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद, वाद संख्या 204/2011 बउनवान नंदकंवर बनाम सरकार रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 205/2011 बउनवान पुष्करसिंह बनाम न्यालकंवर आदि से पूर्व में प्रस्तुत किया गया था। ऐसी स्थिति में धारा 10 सीपीसी के तहत समान पक्षकार व समान विषय वस्तु के लिए प्रस्तुत वादों को निर्णित करने के लिए न्यायालय को पश्चातवर्ती वाद को पूर्ववर्ती वाद के साथ कन्सोलिडेट कर ही निर्णय पारित किया जाना मैण्डैट्री था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ववर्ती वाद को पश्चातवर्ती वाद के साथ कन्सोलिडेट के आदेश पारित कर पश्चातवर्ती वाद में निर्णय एवं डिक्री पारित कर पूर्ववर्ती वाद में शामिल मिसल करने के आदेश क्षेत्राधिकार व अधिकारिता से परे जाकर पारित किए गए है। रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का प्रतिवाद पत्र अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका था। ऐसी स्थिति में परीक्षण न्यायालय को वाद पत्र व प्रतिवाद पत्र के आधार पर आदेश 20 नियम 4(2) व आदेश 20 नियम 5 सीपीसी के आज्ञापक प्रावधानानुसार आवश्यक विवादास्पद विवाद्यक विरचित करते हुए मौखिक साक्ष्य लेकर ही वाद को निर्णिय करने का अधिकार प्राप्त था। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद पत्र को निर्णित किए जाने की प्रक्रिया बिना अपनाए ही वाद पत्रावली को कैम्प कोर्ट झडवासा में नियत कर निर्णय एवं डिक्री जेर अपील पारित कर दिया गया। परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री जेर अपील में यह निर्णय पारित किया है कि खाता सख्या 484/160 किता 20 रकबा 6.83 है0 आराजी गुमानसिंह द्वारा नंदकंवर अपीलांट के नाम पूर्व में बख्शीश किया जाना सिद्ध मानकर उक्त बख्शीशनामा को सक्षम न्यायालय में पुष्करसिंह व अन्य द्वारा चुनौति नहीं दिए जाने से पुष्करसिंह को किसी भी प्रकार का अनुतोष का अधिकारी नहीं माना जाने का निर्णय पारित कर दिया तो ऐसी स्थिति में एक प्रकार से पुष्करसिंह रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का वाद ही खारिज कर दिया गया तो जब धारा 88 व 188 का वाद पत्र को एक प्रकार से रेस्पोडेंट संख्या 1 सिद्ध नहीं कर पाया व अपीलांट का वाद सिद्ध हो गया था तो अधीनस्थ न्यायालय को धारा 135(2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की समरी प्रोसिडिंग द्वारा विरासत के आधार पर कार्यवाही करने का निर्णय पारित करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। ग्राम झड़वासा की शेष विवादग्रस्त आराजीयात गुमानसिंह पुत्र मूलसिंह के नाम दर्ज होने से रेस्पोडेंट पुष्करसिंह द्वारा विवादग्रसत आराजीयात में गुमानसिंह की बहिनों का हक व अधिकार प्राप्त करने का अनुतोष चाहा के संबंध में गुमानसिंह ने अपने जीवनकाल में सम्पूर्ण आराजीयात की अपनी भांजी अपीलांट नंदकंवर पत्नी रघुवीरसिंह के नाम जरिए वसीयत दिया जाना सिद्ध मानकर रेस्पोडेंट संख्या 1 पुष्करसिंह का उक्त आराजी गुमानसिंह की पैतृक सिद्ध करने में असफल रहने तथा नंदकंवर के नाम जरिए पंजीकृत वसीयत

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

दिए जाने से व वसीयतनामा को सक्षम न्यायालय में चुनौति नहीं देने से रेस्पोडेंट संख्या 1 पुष्करसिंह की माता, प्रतिवादी सत्यनारायण की माता व प्रतिवादी संख्या 1 न्यालकंवर गुमानसिंह की बहिनों बाबत कोई साक्ष्य पेश नहीं किए जाने का निर्णय प्रदान करते हुए अपीलांट के पक्ष में की गई वसीयतनामा को सिद्ध मानकर विवादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि पर अपीलांट का हक अधिकार स्वीकार कर लिया गया तथा मृतक गुमानसिंह द्वारा अपनी निजी सम्पत्ति का ट्रस्टामेंट्री डिस्पोजल अपने जीवनकाल में जरिए बख्शीशनामा व वसीयतनामा अपीलांट के पक्ष में किया जाना सिद्ध मानकर एक प्रकार से रस्पोडेंट संख्या 1 के वाद को खारिज कर दिया गया व अपीलांट के वाद को डिक्री कर दिया गया तो ऐसी स्थिति धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का वाद ही खारिज कर दिया गया तो जब धारा 88 व 188 का वाद पत्र को एक प्रकार से रेस्पोडेंट सख्या 1 सिद्ध नहीं कर पाया व अपीलांट का वाद सिद्ध हो गया था तो अधीनस्थ न्यायालय को धारा 135(2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की समरी प्रोसिडिंग द्वारा विरासत के आधार पर कार्यवाही करने का निर्णय पारित करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री जेर अपील बैड ईन ला होकर निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी–अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, प्रतिवादी–रेस्पोडेंट संख्या 1 पुष्करसिंह द्वारा प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के द्वारा ही मृतक गुमानसिंह की विवादग्रस्त भूमियों के संबंध में अंतिम रूप से स्वविवेकीय निर्णय पारित कर उभय पक्षों के हक अधिकारों के संबंध में निर्णय प्रदान करवा चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय ने नियमित वाद के जरिए पक्षकारों के मध्य उत्पन्न विवाद का निस्तारण स्वविवेकीय आधारों पर पारित नहीं कर धारा 135(2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की समरी कार्यवाही के द्वारा गुमानसिंह की विरासत का निर्णय करने के तहसीलदार, नसीराबाद को निर्देश देकर भारी तात्विक अनियमितता एवं तात्विक अवैधता बरती है। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद संख्या 204/2011 व वाद संख्या 205/2011 को न तो स्वीकार किया ना ही खारिज किया। उभयपक्षों द्वारा धारा 135(2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण के निस्तारण बाबत कोई दादरसी भी नहीं चाही गई थी न ही ऐसे अभिवचन अंकित किए गए। उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद रेस्पोडेंट संख्या 1 को कानूनन अपीलांट के पक्ष में किए गए विधिवत बख्शीशनामा, पंजीबद्ध वसीयतनामा के होते हुए रेस्पोडेंट संख्या 1 को लाभ पहुंचाने में असमर्थ होने से उन्होंने धारा 135(2) के तहत कानून विरूद्ध निर्णय जेर अपील पारित किया जिसका क्षेत्राधिकार व अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नहीं था। रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 6 को न्यायालय द्वारा आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के द्वारा पक्षकार बनाए जाने के कारण उक्त अपील में पक्षकार बनाया गया है। अन्य पक्षकार आदेश 22 नियम 4 सीपीसी के द्वारा न्यायालय द्वारा बनाए जाने से अपील में पक्षकार बनाए गए है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 204/2011 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.07.2015 में धारा 135(2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अनुसार मृतक गुमानसिंह के विरासत की कार्यवाही किए जाने बाबत पारित निर्णय को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 3, 4, व 6 ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 3, 4, 6 ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि अपीलार्थी की अपील निराधार होकर निरस्त किए जाने योग्य है क्योंकि उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा निर्देश दिनांक 1.7.2015 वाद संख्या 207/2011 पूर्णतः विधिक नियमों एवं कार्यवाहियों को अमल में लाते हुए निर्देशित किया गया है। तथा उक्त अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 के अंतर्गत न्यायालय को सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है, क्योंकि उक्त प्रकरण में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील धारा 223 के प्रावधानों के विपरीत प्रस्तुत की गई है। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायलय द्वारा अंतिम निर्णय या डिक्री पारित नहीं की गई है, इसके विपरीत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने न्यायालय प्रोसेडिंग दिनांक 1.7.2015 में स्पष्ट अंकन किया है कि धारा 135(2) भू–राजस्व अधिनियम के तहत जांच कर कार्यवाही अमल में लाई जावे। इस प्रकार उक्त प्रकरण का अंतिम निस्तारण तहसीलदार, नसीराबाद द्वारा दिनांक 11.9.2015 को अंतिम कार्यवाही किए जाने से उक्त प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार धारा 223 के तहत न्यायालय को नहीं है। अपीलार्थी की अपील इसलिए भी खारिज किए जाने योग्य है कि चूंकि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की गलत व्याख्या की गई है, जबकि विधि का सुस्थापित नियम है कि जब किसी वाद में विवद्यक सम्पत्ति और वादकारण भी एक ही हो तो ऐसे वादों का एक ही निर्णय दिया जाता है और जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्णतः विधि के प्रावधानों आधार पर किया गया है। क्योंकि उक्त आदेश में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वाद निर्णय में स्पष्ट अंकन किया गया था, उक्त वाद की आदेशिका में स्पष्ट निर्देश दिए गए है, कि धारा 135(2) भू–राजस्व अधिनियम के तहत जांच कर कार्यवाही अमल में लाई जावे। जिसके पश्चात तहसीलदार, नसीराबाद के समक्ष अपीलार्थी उपस्थित हुई और अपना पक्ष रखा जिस पर तहसीलदार, नसीराबाद अजमेर के द्वारा जांच करते हुए अपने आदेश दिनांक 9.11.2015 में स्पष्ट लिखा है कि न्यायालय नसीराबाद के पारित निर्णय अनुसार नंद कंवर पुत्र श्री रघुवीर सिंह के पक्ष में निष्पादित वसीयत के संबंध में नियमानुसार जांच की जाकर कार्यवाही किए जाने के आदेश प्राप्त हुए। खाता संख्या 240/484 किता रकबा 20 रकबा 6.83 जो कि पूर्व में ही नंदकंवर पत्नि रघुवीर सिंह कौम राजपूत के खाते दर्ज है। इस संबंध में वसीयत केवल स्वअर्जित सम्पत्ति की ही की जा सकती है, जबकि उक्त आराजी पुश्तैनी आराजी है। ना कि स्वअर्जित गुमान सिंह की उक्त का अंकन करते हुए तहसीलदार नसीराबाद, अजमेर ने अपनी कार्यवाही पूर्ण की है। जिसमें अपीलार्थी उपस्थित रही है। इस प्रकार सुनवाई का मौका नहीं देंने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 1.7.2015 में स्पष्ट निर्देश दिए ना कि प्रकार का कोई निर्णय व डिक्री पारित की है इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा जिन न्यायिक प्रावधानों का उल्लेख किया जा रहा है उनका पालन तब होता जबकि निर्णय अंतिम होता जबकि न्यायालय ने अपनी न्यायालय प्रोसेडिंग दिनांक 4.7.2015 में स्पष्ट धारा 135(2) भू–राजस्व अधिनियम के तहत जांच के निर्देश दिए गए है। इस प्रकार अपीलार्थी को उक्त जांच में उपस्थित होकर अपनी दस्तावेजी व साक्ष्य देने का समुचित अवसर उपलब्ध थे तथा अपीलार्थी स्वयं उक्त संपूर्ण जांच में

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

उपस्थित होकर सम्मिलित रही है। अपीलार्थी द्वारा यह कहना कि किसी भी पक्षकार द्वारा गुमानसिंह द्वारा निष्पादित वसीयत को चुनौति नहीं दी गई है, लेकिन जब उक्त वसीयत को तहसीलदार, नसीराबाद, अजमेर द्वारा सिरे खारिज फरमाया गया था, तो प्रत्यर्थीगण के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव नही पडा। तो इसके विपरीत अपीलार्थी के पास उक्त वसीयत को प्रोबेट द्वारा सक्षम न्यायालय से साबित करवाने का अधिकार था, किंतु उसके द्वारा यह विधिक कार्यवाही नहीं करना भी साबित करता है, कि उक्त वसीयत कूटरचित व फर्जी रही है। अन्यथा अपीलार्थी अवश्यक ही वसीयत की अनुपालना सक्षम सिविल न्यायालय से अवश्य ही कराता। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 5 ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा माननीय समक्ष अपील संस्थित की गई है वह अपीलार्थी द्वारा निर्णय दिनांक 1.7.2015 को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा राजस्व वाद संख्या 204/2011 नंदकंवर विरूद्ध सरकार व राजस्व वाद संख्या 205/2011 पुष्कर सिंह विरूद्ध न्याकंवर व अन्य जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि एक ही होने तथा वाद के हितबद्ध पक्षकार एक ही भूमि को विवादित अभिकथित किए जाने के आधार पर दोनों पत्रावली को एक साथ संयोजित करके न्याय/निर्णयन किया गया, जिससे न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आज्ञाप्ति में विरोधाभाव उत्पन्न ना हो तथा न्यायालय द्वारा ही वादग्रस्त भूमि बाबत भिन्न–भिन्न मत या निर्णय पारित होने से विलिष्ठता उत्पन्न ना हो इस कारण न्यायालय द्वारा दिनांक 1.7.2015 को पत्रावली का विचारण कर निर्णय पारित किया गया तथा उक्त निर्णय अनुसार धारा 135(2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए विरासत के आधार पर नामांतरण कार्यवाही सम्पादित की गई। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 1.7.2015 के अनुसार तहसीलदार के समक्ष उक्त निर्णय की पालना हेतु अपने समस्त दस्तावेजात के आधार पर जो अनुतोष चाहा गया, के आधार पर अपना पक्ष रखा जाना चाहिए था, जिसके आधार पर तहसीलदार दस्तावेजी की जांच कर नियमानुसार नामांतरण कार्यवाही सम्पादित करता तथा मौके पर भूमि का नाप कर दिया जाता जिसके बाबत तहसीलदार द्वारा नोटिस जारी किए गए व दिनांक 4.10.2015 के समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में आम सूचना का प्रकाशन करवाया गया जिसके पश्चात भी कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही कोई आपत्ति या ऐतराज प्रस्तुत हुए तथा साथ ही नंदकंवर के पक्ष में निष्पादित वसीयत की जांच की जाकर कार्यवाही की जानी चाहिए थी, किंतु पंजीकृत वसीयत प्रथम दृष्टया ही विधिक हक अधिकार से परे जाकर निष्पादित की गई थी क्योंकि वसीयतकर्ता गुमान सिंह की उक्त वादग्रस्त भूमि/आराजी स्वयं की आय से अर्जित नहीं की गई थी बल्कि पैतृक विरासतन चली आ रही थी इस कारण उक्त वसीयत प्रथम दृष्टया ही गुमान सिंह द्वारा विधिविरूद्ध रूप से निष्पादित की गई थी, जिस वसीयत के आधार पर अपीलार्थी के वादग्रस्त भूमि बाबत कोई विधिक हक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि उक्त भूमि पैतृक विरासतन प्राप्त हुई भूमि हैं। अपीलार्थी के हक में पैतृक विरासतन भूमि बाबत निष्पादित विधिविरूद्ध वसीयत के बाबत अपीलार्थी द्वारा किसी भी सक्षम सिविल न्यायालय से कोई प्रमाण पत्र भी प्राप्त नहीं किया गया है इस कारण राजस्व न्यायालय द्वारा वसीयत की वैधानिकता या उससे प्राप्त होने वाले विधिक हक अधिकार का विनिश्चयन बिना सक्षम सिविल न्यायालय से प्राप्त प्रोबेट प्रमाण पत्र के अंतिम निर्णय नहीं

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

कर सकता है, क्योंकि उक्त भूमि पैतृक विरासतन प्राप्त हुई भूमि है जो कि विधि विरूद्ध रूप से अमान्य है, जिसके आधार पर भी अपीलार्थी की अपील खारिज किए जाने योग्य है। अपीलार्थी द्वारा जो कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 1.7.2015 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा गया है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी व प्रत्यर्थीगण को तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर अपना–अपना पक्ष रखने हेतु निर्देशित किया गया था, जहां पर अपीलार्थी जो कि नोटिस व समाचार पत्र में प्रकाशन के बावजूद उपस्थित नहीं हुई है, जिसके पश्चात तहसीलदार द्वारा अपने आदेश दिनांकित 9.11.2015 के जरिए सजरा दिनांकित 4.8.2015 के अनुसार 1/3 हिस्से के आधार पर विरासत का नामांतरण दर्ज किए जाने के आदेश पारित किए गए जिसमें अपीलार्थी द्वारा जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम के तहत चुनौति देनी थी जो कि अपीलार्थी द्वारा ना देकर धारा 223 के तहत मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की है जो कि निरस्तनीय है और अपीलार्थी ने अपने अधिकार वेब कर लिए इस आधार पर भी अपीलार्थी की अपील धारा 223 के तहत विचारणीय योग्य नहीं होने से निरस्त किए जाने योग्य है क्योंकि अपीलार्थी को तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांकित 9.11.2015 के आदेश की अपील संस्थित करनी थी जबकि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 1.7.2015 को उक्त अपील में चुनौति दी है इस कारण भी न्यायालय तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांकित 9.11.2015 के तहत राजस्व इंद्राज/नामांतरण का निरस्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि उक्त नामांतरण के आधार पर खातेदारी द्वारा अपने अंश व हिस्से की भूमि का विक्रय किया जा चुका है, इस कारण अपीलार्थी द्वारा उक्त हस्तांतरण/अंतरण, बैय, बेचान को सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौति नहीं दिए जाने के कारण भी उक्त अपील निरस्तनीय है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

9. हमने उभयपक्ष द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। अधीनस्थ न्यायालय में बरवक्त आदेश अपीलांट उपस्थित था तथा संबंधित तहसीलदार द्वारा आदेश पारित किया गया तत्समय भी अपीलांट तहसीलदार के समक्ष उपस्थित थें, अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 01.07.2015 के विरूद्ध तत्काल हाजा न्यायालय के समक्ष उक्त अपील प्रस्तुत करता तो उसे सद्भावी अपीलांट माना जा सकता था किन्तु उक्त आदेश के पश्चात अपीलांट द्वारा तत्काल अपील प्रस्तुत नही कर संबंधित तहसीलदार द्वारा पारित आदेश की प्रतीक्षा अपीलांट द्वारा की गई जिससे स्पष्ट होता है अपीलांट को विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के आदेश दिनांक 01.07.2015 की सम्पूर्ण जानकारी थी अतः अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज योग्य है किन्तु मान्नीय उच्चतर न्यायालयों ने अपने अनेको न्यायिक आदेशों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि प्रकरण को तकनीकि आधार पर खारिज न कर, गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। अतः **प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।**

10. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा राजस्व वाद वास्ते

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

CamScanner

खातेदारी उदघोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती प्रस्तुत किया, जिस बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने उक्त आदेश दिनांक 01.07.2015 को वादग्रस्त आराजीयात बाबत मृतक गुमानसिंह पुत्र मूलसिंह की विरासत बाबत संबंधित तहसीलदार इन निर्देशों के साथ प्रेषित किया कि वे राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 135 (2) के अंतर्गत नियमानुसार दर्ज कर संबंधित मृतक गुमानसिंह द्वारा नंदकंवर पुत्री रघुवीर सिंह के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत वसीयत की विधिवत जांच करे तथा संबंधित सभी पक्षकारों को समान रूप से साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, राजस्व रिकार्ड में नामांतकरण दर्ज करने की कार्यवाही करें। उक्त आदेश की पालना में संबंधित तहसीलदार द्वारा सभी पक्षकारों को समुचित अवसर प्रदान कर मृतक के विरासत के नामांतकरण की कार्यवाही संपादित की गई तथा अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के आदेश दिनांक 01.07.2015 के विरूद्ध हाजा न्यायालय के समक्ष उक्त अपील प्रस्तुत की है। हमारे द्वारा पत्रावलियों के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलांट का अपनी अपील में मुख्य तर्क यह है कि वादी पुष्करसिंह के वाद संख्या 205/2011 प्रस्तुत किए जाने से पूर्व वादीया–अपीलांट ने वाद संख्या 204/2011 बउनवान नंदकंवर बनाम सरकार आदि प्रस्तुत कर रखा है ऐसी स्थिति में पश्चातवर्ती वाद संख्या 205/2011 पुष्करसिंह बनाम न्यालकंवर को धारा 10 के तहत स्थगित किया जाना न्यायोचित था किन्तु जाप्ता दीवानी के आदेश 7 मे यह स्पष्ट प्रावधान है कि वाद की प्रकृति के अनुसार पीठासीन अधिकारी को यदि यह लगे की वाद/प्रकरण उनके न्यायालय में चलने योग्य नही है तो उक्त वाद/प्रकरण को सक्षम न्यायालय में अंतरित कर देना चाहिए तथा प्रश्नगत प्रकरण में भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिअनुसार धारा 135 (2) के प्रावधानों के अनुसार मृतक के विरासत का नामातंकरण खोलने के आदेश संबंधित तहसीलदार को प्रदान किये गये है उक्त आदेश के अवलोकन से भी यह भी प्रकट होता है कि उक्त आदेश 01.07.2015 में संबंधित तहसीलदार को निर्देश प्रदान किये गये है तथा उक्त आदेश दिनांक 01.07.2015 की उक्त अपील हाजा न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत संधारण योग्य एवं पोषणीय नही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 में स्पष्ट रूप से यह अंकित किया है कि "**मूल डिक्रीयों की अपीले– किसी मूल डिक्री की अपीलः– 1 यदि ऐसी डिक्री तहसीलदार द्वारा दी गई हो, तो जिला कलक्टर 2. यदि ऐसी डिक्री किसी सहायक कलक्टर , उपखण्ड अधिकारी या जिला कलक्टर द्वारा दी गई हो ,तो (राजस्व अपील प्राधिकारी)को होगी।**" अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.07.2015 में किसी प्रकार की कोई डिक्री पारित नही की है, तथा उक्त आदेश से किसी भी पक्षकार (वादी/प्रतिवादी) के कानूनी अधिकार न तो उत्पन्न होते है और ना ही अवसान। इस प्रकार से विचारण न्यायालय ने अपने उक्त आदेश से किसी भी प्रकार की कोई डिक्री पारित नही की गई है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 में केवल डिक्री की अपीले ही हाजा न्यायालय के समक्ष संधारणीय है। अधीनस्थ न्यायालय में बरवक्त आदेश अपीलांट उपस्थित था तथा संबंधित तहसीलदार द्वारा अपीलांट अनुसार उसके प्रतिकूल आदेश प्रदान किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 01.07.2015 के विरूद्ध तत्काल हाजा न्यायालय के समक्ष उक्त अपील प्रस्तुत करता तो उसे सद्भावी अपीलांट माना जा सकता था किन्तु उक्त आदेश के पश्चात अपीलांट द्वारा तत्काल अपील प्रस्तुत नही कर संबंधित तहसीलदार द्वारा पारित आदेश की प्रतीक्षा अपीलांट द्वारा की गई जिससे स्पष्ट होता है कि अपीलांट विचारण

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

CamScanner

न्यायालय द्वारा पारित आदेश 01.07.2015 से पूर्णतया संतुष्ट था। इस प्रकार अपीलांट की उक्त अपील को सदभाविक नही माना जा सकता है तथा अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष उक्त अपील स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत की हो ऐसा प्रतीत नही होता है अतः उक्त अपील अपीलांट सारहीन, बलहीन एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य प्रतीत होती है। तथा अपीलांट संबंधित तहसीलदार के उक्त आदेश से किसी भी प्रकार से व्यथित है तो अपीलांट को यह स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि वे संबंधित तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध नियमानुसार संबंधित न्यायालय में चुनौती प्रदान कर अपने हक एवं अधिकारों की प्राप्ति हेतु चाराजोही कर सकता है। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य प्रतीत होती है।

11. अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 204/2011 में पारित निर्णय दिनांक 01.07.2015 को यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

12. निर्णय आज दिनांक 25.07.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर